श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

14.36½ hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Articles 1 and 393) by Shri Krishna Deo Tripathi

Mr. Deputy-Speaker: Further consideration of the following motion moved by Shri Krishna Deo Tripathi on the 13th May 1966:—

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration".

Only 21 minutes are left.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इसके लिये कुछ समय बढ़ाया जाय ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri D. C. Sharma is not here. His speech is deemed to have been finished. As only 21 minutes are left, I will call upon the Minister to reply.

Some hon Members: No.

Dr. Ranen Sen (Calcutta East): This Constitution (Amendment) Bill moved by Shri K. D. Tripathi should not be accepted by this House. The amendment sought is really a mockery of what exists today in India. The amendment seeks in art. 393 to add after the word 'of' the word 'the Sovereign Democratic Socialist Republic of'.

Today what we are seeing in India is a situation which is far from a socialist India or a democratic India. To a very great extent, the sovereignty of India is being encroached upon. It is well known to everybody that this is a situation where our sovereignty has been encroached upon by the imperialist powers, namely, the American imperialists, at whose *diktat* our currency has been devalued, at whose *diktat* even the internal, domestic policies of the Government of India are sought to be changed. Therefore, from what exists in India today, it is very difficult to say that we have actually 100 per cent sovereignty.

Secondly, in regard to democracy, the less said the better. Democracy is being murdered in India today. This has been a feature for the last few years. Particularly this year, this has been very marked. What has happened in UP recently, what took place in Bengal a few months back and what happened in other parts of the country such as Kerala—all these go to show that democracy is a thing which has become the first casualty in this Republic of India.

Thirdly, if we speak of a socialist Republic, there is nothing socialism in this country. All that we find is something different. It has been admitted by two bodies, the Mahalanobis Committee and the Monopolies Inquiry Commission, that big monopoly has already raised its head—not raising its head—in India. Today India is being dominated more and more by monopolistic groups, and what the Government of India seeks to develop today in India is pure and simple capitalism. Capitalism is being built to some extent in collaboration with foreign, imperialist powers and mostly in collaboration with foreign capital.

Therefore, when this Bill says that this Constitution may be called the Constitution of the sovereign, democratic, socialist Republic of India, I say it is a mockery of the existing situation. As a Member of the Communist group in this Parliament, I would be very happy if India were developing in that direction, and I would have completely and fully associated myself with such an idea, but unfortunately that is not the position. But it is a fact that in future India is going to develop towards a democratic, socialist Republic, and the Indian people are today waging a battle throughout the country to see that a democratic, socialist Republic in India is born. The India people are fighting in that hope, but just to introduce such a phrase inside the Constitution of India

[Dr. Ranen Sen]

will be a mockery of the present condition, and secondly, such a phrase is likely to confuse a large number of people who might start thinking that today India, instead of building capitalism, seeks to build in democratic socialism, which is far from the truth. So long as this ruling class remains at the top, so long as this ruling party remains at the top, this democratic socialism becomes a far cry.

Therefore, with these words I oppose this amendment.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, श्री त्रिपाठी ने जो विधयक प्रस्तुत किया है उसका विरोध तो मैं नहीं करता क्योंकि उसके पीछे उनकी जो भावना है वह अच्छी है । इस विधेयक को अगर स्वीकार किया जायेगा तो संविधान में यह शब्द आयेंगे कि :

"हिन्दुस्तान एक सार्वभौम प्रजातन्त्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनेगा ।" "शेल बी" का मतलब है इसके अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा । जब यह परिवर्तन हो जायेगा तब क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा इसके बारे में अगर आपका दिमाग़ साफ नहीं है तो मैं कहूंगा कि यह केवल एक नाम महात्म्य की चीज हो जायेगी । वैसे तो हिन्दू धर्म में लोग कहते हैं कि अगर पापी आदमी भी हमेशा यह कहता रहे कि काशी जाना है, काशी जाना है तो उसका पाप कुछ हद तक कम हो जाता है । मुझे ऐसा लगता है कि शायद श्री त्रिपाठी खुद जानते हैं कि जिस सत्ताधारी दल के हाथ में देश की बागडोर है वह समाजवाद की ओर नहीं बढ़ रहा है बल्कि हमारे देश को पूंजीवाद और सामन्तवाद तथा नौकरशाही के नर्क की ओर ले जा रहा है । फिर भी जिस तरह लोग कहा करते हैं कि काशी जाना है, काशी जाना है उसी तरह इस बात को अच्छी तरह जानते हुए भी कि आप उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं, संविधान में परिवर्तन करके आप दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि भारत समाजवाद की ओर बढ़ रहा है ।

इसमें जो चार शब्द हैं उन में से हम एक एक को ले लें और इस को अच्छी तरह से समझें कि उनके क्या माने होते हैं । जैसे सार्वभौम या सार्वभौमिकता है । हमेशा यहां पर बात होती है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, काश्मीर पर भारत की सार्वभौमिकता है । यह बात बराबर कही जाती है, लेकिन आपके काम कैसे हैं । कैसे काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, कैसे आपकी उस पर सार्वभौमिकता है जब कि उसका $\frac{2}{5}$ हिस्सा आपने एक युद्धबन्दी करार के द्वारा पाकिस्तान को दे दिया । इतना ही नहीं । पिछले वर्ष जब हमारे जवानों ने, जो पाकिस्तान के हाथ में काश्मीर का हिस्सा चला गया था उसका जो उड़ी-पूंछ का हिस्सा, कारगिल तिथवाल का हिस्सा, हाजी पीर का हिस्सा है, उसको जान की बाजी लगा कर वापस ले लिया तब सारी दुनिया के सामने भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें अकेले ही क्यों न रहना पड़े लेकिन हाजी पीर को हम कभी नहीं छोड़ेंगे । काश्मीर के ऊपर आपकी सार्वभौमिकता है लेकिन क्या किया आपने । ताशकन्द करार के मातहत आपने न केवल हाजीपीर, उड़ी पूंच, तिथवाल और कारगिल को छोड़ा बल्कि जम्मू सियालकोट इलाके में भारत माता की भूमि का एक ऐसा टुकड़ा भी छोड़ा जिसके बारे में कोई विवाद नहीं था । सीमा के पत्थर लगे हुए थे । यह इलाका छोटा ही सही, लेकिन आपने उस को पाकिस्तान को दे दिया । फिर भी आप संविधान में परिवर्तन के द्वारा हमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि यह गणराज्य सार्वभौम है ।

एक माननीय सदस्य : क्या इसको संविधान से निकाल दिया जाये ।

श्री मधु लिमये : मैं आपकी बातों को खोल रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को

रखना चाहते हैं तो काम भी उनके अनुरूप होना चाहिये, नहीं तो नाम संकीर्तन से कुछ होने वाला नहीं है ।

अब सार्वभौमिकता का दूसरा पहलू देख लीजिये । सन् 1950–51 में जब चीन तिब्बत के ऊपर हावी हो गया था तो धीरे धीरे वह लद्दाख में घुसने लगा । चार पांच साल तक तो सरकार को पता ही नहीं चला कि चीन वहां आया है । जब पता चला तो उसके पश्चात् जनता और लोक सभा से उस तथ्य को आपने छिपाया । कोलम्बो योजना तक जो आपकी यह फिसलन है वह उसी तरह चलती रही, और जब कोलम्बो योजना आपने मंजूर की और जिसके ऊपर आपकी नीति आधारित है, तब लद्दाख का पन्द्रह सोलह हजार वर्ग मील इलाका चीन के पास चला गया । फिर आप कानून की बहस चलाते रहे कि कानून में हमने कहां माना है, वहां आज भी हमारी कानूनी सार्वभौमिकता है । इस तरह की जब बातें होती हैं तब शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है और वाद विवाद करना या बहस चलाना बेकार हो जाता है । इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा, बहुत अदब के साथ, कि अगर आप सचमुच इस हिन्दुस्तान क सार्वभौमिकता के आधार पर गणराज्य बनाना चाहते हैं तो पहले सरकार से और सत्ताधारी दल से कहिये कि जो जो हमारा इलाका, एक एकड़ भूमि विदेशियों के हाथ मे चली गई है उसको वापस लाने का वह संकल्प करे और उसके अनुरूप अपनी सारी आर्थिक और विदेशी नीति बनाये । अगर आप यह करने के लिये तैयार नहीं हैं तो यह जो पहला शब्द आप जोड़ना चाहते हैं उस का कोई महत्व नहीं रह जाता ।

दूसरा शब्द आयेगा "प्रजातान्त्रिक" । यह भी मेरी समझ में नहीं आता है । आज जगह जगह प्रजातन्त्र के जो जो सिद्धान्त हैं उनको खत्म करने की बात आप सोच रहे हैं। केरल में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी । उसके खिलाफ लड़ने का आन्दोलन करने क आपको अधिकार था, और उस अधिकार पर आपने अमल भी किया, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार बन्द की बात करते हैं, पश्चिमी बंगाल बन्द की बात करते हैं, बम्बई बन्द की बात करते हैं तब आपको क्यों गुस्सा आता है । आप कहते हैं कि हम कानून की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1957, 1958 और 1959 में केरल में कम्यूनिस्ट मंत्रि मंडल कायम था और हम लोग जिस आन्दोलन के रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी भी चल पड़ी थी, सरकारी पार्टी भी चल पड़ी थी यहा तक कि त्रिवेंद्रम के सचिवालय को घेरने का, वहां धरना देने का और सारा सरकारी काम ठप्प करने का आपने संकल्प किया और फिर सत्ता का दुरुपयोग कर वहां राष्ट्रपति शासन कायम किया । मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के काम आप खुद करते हैं तो जब दूसरों के द्वारा आन्दोलन चलाया जाता है तो क्यों आप गोली और लाठी का राज कायम करते हैं । मैं अभी अभी बांदा गया था । बांदा में मैंने उपाध्यक्ष महोदय जो घटनायें देखी हैं उन में से मैं दो तीन घटनाओं का ही जिक्र करूंगा .....

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla): How far is it relevant to this Bill?

श्री मधु लिमये : यह इरेंलेवेंट कैसे है । क्या हम अपने आपको प्रजातान्त्रिक देश नहीं कहते हैं । नाम में क्या हमारा प्रजातान्त्रिक गणराज्य नहीं है

Shri V. C. Shukla: It is a law and order matter.

श्री मधु लिमये : मैं यह साबित करना चाहता हूं कि कानून के अनुरूप वहां काम

[श्री मधु लिमये]

नहीं हुआ है, कानून को तोड़ कर सब कुछ हुआ है। प्रजातन्त्र का मतलब है कानून का राज। इतना तो गृह मंत्री मानेंगे .....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिये।

श्री मधु लिमये : इतनी जल्दी ? अगर समय नहीं है तो समय बढ़ाइये। मुझे पांच मिनट और दीजिये।

प्रजातन्त्र का जहां तक सवाल है मैं यह कहूंगा कि जो सरकार भारत सुरक्षा कानून का इस्तेमाल देश रक्षा के लिए नहीं बल्कि गरीब किसानों के खिलाफ, मेहनत करने वालों के खिलाफ, जो अनाज, जो धान की पैदावार करते हैं उनके खिलाफ करती है, लेवी योजना को लेकर उनको जेल मे बन्द करने के लिए भारत सुरक्षा कानून का इस्तेमाल करती है ऐसी सरकार के रहते हुए प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात करना कोई मतलब नहीं रखता है।

बांदा के बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि एक लड़के को गोली लगी थी। उसके पिता जी और दूसरे दोस्त उसको रिक्शा में बिठा कर अस्पताल ले जा रहे थे। पुलिस आई और उस लड़के को उसने घसीटा कुत्ते की तरह। मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कानून के राज्य में ऐसी चीज़ होती है ? मामूली करुणा और दया के आधार पर भी उस लड़के को अस्पताल जाने की इजाजत देनी चाहिये थी। लेकिन उसको घसीटा गया। चार पांच घंटे तक वह पड़ा रहा। वहां सिविल सर्जन तक ने यह कह दिया कि अगर वह पहले आ गया होता तो इस तरह की बात न होती, वह नहीं मरता।

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। कानून की हत्या हो रही है। अब रह गया शब्द "सोशलिस्ट"। उसके बारे में मैं क्या कहूं ? इनका समाजवाद जैसे मैंने परसों कहा था, हमेशा निर्गुण, निराकार ब्रह्म के रूप में रहेगा। उसको कभी भी ठोस अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो क्या आमदनी का जो फर्क है इसको आप दूर करेंगे। बड़े लोगों की आमदनी, छोटे लोगों की आमदनी में जो अति फर्क है क्या उसको घटाने के लिए कोई योजनाएं आप बनायेंगे ? इसी तरह मैं कहूंगा कि बेरोज़गारी खत्म करने के लिये कोई योजना बनेगी ? आखिर समाजवाद से इनका मतलब क्या है ? यह मेरी समझ में तो आया नहीं है। हमारे देश में पूंजीवाद पनप रहा है, मुनाफाखोरी पनप रही है। आई० सी० एस० लोगों की जो इस वक्त नौकरशाही है उसका राज चल रहा है। चाहे बूथलिंगम साहब हों या बी० आर० पटेलसाहब हों या कोई और साहब हों कांग्रेसियों का तो कोई राज है ही नहीं। जो कांग्रेसी नए नए आए हैं वे बिल्कुल इन आई० सी० एस० लोगों से मिल गये हैं और अंग्रेज़ों के ज़माने में आई० सी० एस० लोगों को जो अधिकार नहीं थे वे अधिकार आप लोगों ने इन्हें दे रखे हैं। फिर भी आप गणराज्य की, प्रजातन्त्र की, समाजवाद की और सार्वभौमिकता की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है।

इसलिए अन्त में मैं कहूंगा कि सारा काम करने के लिए कोई आप योजना बनायें, तब जाकर यह जो आप संवैधानिक परिवर्तन चाहते हैं, इसको करें। आप क्या कर रहे हैं ? गाड़ी के सामने घोड़ा नहीं आप रख रहें हैं। आप घोड़े के सामने गाड़ी रख रहे हैं। मेहरबानी कर के घोड़े को गाड़ी के सामने रखिये।

श्री बड़े (खारगोन) : कौन सा घोड़ा ?

श्री मधु लिमये : समाजवादी कार्यक्रम का घोड़ा लगायें, प्रखर राष्ट्रीयता का घोड़ा लगायें ।

श्री बड़े : हमारे त्रिपाठी जी ने जो बिल पेश किया है उसके द्वारा वह यह चाहते हैं कि आर्टिकल 393 में शब्द "सावरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक" जोड़ दिये जायें यानी सार्वभौम प्रजातांत्रिक समाजवादी गणतंत्र शब्द जोड़ दिये जायें । उनका कहना यह है कि इन शब्दों को जोड़ देने से यह जो हमारा राज्य है यह सोशलिस्ट नीतियों पर चल सकेगा । इस बिल के आवजेक्ट्स एंड रीजंज़ में उन्होंने कहा है कि सरकार ने सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी को अपना अल्टीमेट आबजेक्टिव स्वीकार कर लिया है और पार्लिमेंट ने भी इसको स्वीकार कर लिया है । सोशलिस्टक पैटर्न का मतलब यह है समाजवादी ढंग का समाज । इसका मतलब यह नहीं है कि समाजवाद वह लाना चाहते हैं । इसका मतलब यह है कि समाजवादी ढंग का समाज वे स्थापित करना चाहते हैं । सोशलिस्टक पैटर्न मीज़ दिस की दरअसल में यह सोशलिस्ट नहीं हैं । जो पैटर्न है वह सोशलिस्टक है । आवजेक्ट्स एंड रीजंज में इन्होंने कुछ कहा है और बिल में यह कुछ और रखना चाहते हैं । आवजैक्ट्स एंड रीजंज़ में तो इन्होंने, कहा है सोशलिस्टक पैटर्न लेकिन रखना यह चाहते हैं सोशलिस्ट । इससे एक बात प्रकट होती है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं । इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है । त्रिपाठी जी ने लिखा तो सोशलिस्टक पैटर्न है लेकिन करना चाहते हैं सोशलिस्ट रिपब्लिक ।

मैं कहता हूं कि नाम बदलने से काम नहीं होता है । मराठी में एक कहावत है "नाम सुखबाई और हर हमेश दुःखमें । नाम सोनाबाई हाथी कथसाला वाड़ा ।" नाम तो सोनुबाई हाथ में कथील की चूड़ी । नाम तो सुखबाई लेकिन रहती हमेशा दुख में । नाम कोई भी आप रखें काम आपका अच्छा होना चाहिये । नाम बदल कर मैं कहता हूं आप जनता को धोखा देना चाहते हैं ।

आप शुरू शुरू में कहा करते थे कि हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं । राम राज्य तो स्थापित नहीं हुआ लेकिन आपने कहना शुरू कर दिया कि कल्याण-कारी राज्य की स्थापना आप करना चाहते हैं । अब कल्याणकारी राज्य के होते होते आपने सोशलिस्टक पैटर्न कर दिया और अब आप सोशलिस्ट करना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है । उससे कोई विशेष फर्क नहीं होने वाला है । कम्युनिस्ट लोग आप से नाराज़ हैं । वे कहते हैं, कि चीन सरकार को, पेकिंग सरकार को आप यहां क्यों नहीं लाते हैं, समाजवाद के बजाय, साम्यवाद को क्यों नहीं लाते हैं । दूसरे हमारे जो समाजवादी भाई श्री मधु लिमये जैसे हैं वे यह कहते हैं कि यहां हमारे देश में प्रजातंत्र ही नहीं है । पार्लिमेंट में बैठने के बाद भी अगर वह कहते हैं कि हमारे यहां डेमोक्रेसी नहीं है तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं कहता हूं कि डमोक्रेसी तो हमारे यहां चल रही है लेकिन अच्छे ढंग से नहीं चल रही है । हमारे यहां प्रजातंत्र नहीं उलटे मनतंत्र चल रहा है । मन में जैसा आता है वैसा किया जाता है । नाम बदलने के बजाय मनुष्य जो काम करता है उसको बदलना चाहिये । जो अच्छे काम हैं उनको उसे करना चाहिये । इनकी पार्टी में जो कामकरने वाले हैं, जो मनुष्य हैं उनको बदलना चाहिये । इस पार्टी को बदलना चाहिये तब जाकर हमारे यहां सही अर्थों में प्रजातंत्र आएगा ।

अभी हमारे लिमये साहब ने कहा

[श्री बड़े]

कि आई० सी० एस० अफसर इन पर हावी हो गये हैं इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि जो मिनिस्टर इनकी पार्टी के होते हैं उनको राज्य का अनुभव नहीं होता है । उनको मालूम नहीं होता है कि किस प्रकार की फाइलें उनके पास आती हैं और उनको क्या निर्णय देना चाहिये । मैंने देखा है कि मिनिस्टरों के पास फाइलें आती हैं, पड़ी रहती हैं और व जो उनका सचिव लिख देता है या जो आई० सी० एस० अफसर लिख देता है उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं । उनको मालूम नहीं होता है कि क्या अंधेरगर्दी चल रही है । इस वास्ते व्यक्ति को बदलना चाहिये और अच्छे ढंग से काम क्यों नहीं चलता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये ।

एक तरफ तो आप सोशलिस्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके यहां मिक्स्ड इकोनोमी चल रही है । आप यह चाहते हैं कि आपके पास केक हो और आप उसको खावें भी जरूर । इधर आप कहते हैं कि पूंजीपति रहे और उधर आप कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । दोनों घोड़े साथ साथ कैसे चल सकते हैं । ऐसा मालम होता है कि एक घोड़ा एक तरफ जा रहा है और दूसरा दूसरी तरफ । दोनों विपरीत दिशाओं में गाड़ी को खींच रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : समाजवाद का घोड़ा है ही नहीं ।

श्री बड़े : दोनों घोड़े अलग अलग जा रहे हैं । समाजवाद की गाड़ी खत्म होती जा रही है ।

अंत में मैं कहूंगा कि नाम बदलने में कुछ नहीं रखा है । नाम रहते हुए भी आप अच्छे काम कर सकते हैं । जो कमियां बताई हैं वे नाम रहते हुये भी आज भी दिखाई दे रही हैं । नाम होते हुए भी हम रिपब्लिक नहीं हैं, सावेन डेमोक्रेटिक नहीं है, सावेन भी नहीं हैं । नाम बदलने से क्या अन्तर पड़ जाएगा मेरी समझ में तो आता नहीं है । नाम में कोई ज्यादा अर्थ नहीं है । मैं चाहता हूं कि त्रिपाठी जी नाम को बदलने के बजाय शासन को बदलें जो ठीक तरह से नहीं चल रहा है ।

Shri Priya Gupta (Katihar): Sir, I sometimes wonder as to how this Bill can come at all because in the *Statement of Objects and Reasons*, the hon. Member Shri K. D. Tripathi says:

> "The Government and the Parliament of India have already accepted socialistic pattern of society as the ultimate objective and have based their industrial policy and planned economic development on socialism. It is, therefore, in the fitness of thing that this objective should find unambiguous mention in the supreme law of the land Hence this Bill."

Eighteen years after the Constitution of India was adopted, they knew what is the purpose of setting up a socialist country. Everybody was very busy in the storm and nobody could see the barometer. All of a sudden some leader happened to see the barometer and the point to socialism in the country. He found out nothing; he found that it was devoid of socialism; he found everything minus socialism and all the actions of the Government and the party became a wrong thing. They said that the public has done it. Therefore, they put a grob on the barometer and they gave the label by all the actions of the Government and because even when it is translated in Hindi and in all the 13 other regional languages of India, it becomes impossib'e for them to realize the meaning of word like *Sarvabhauma*. Though big words are used as caption in Constitution they are never followed and fundamentally they do not have them and it is not felt at all. The very trace of these big four five words is not felt in the public or private lives of people in the country.

15 hrs.

What should I say? I do not want to take the precious time of this House, but I would like to say one thing. My hon. friend who is the mover of this Bill happens to be from the Congress. Instead of just moving this Bill, I would request him to exercise his personal influence and to influence the whole party to change the attitude of the Government. What is the Government doing? They vouchsafe for socialism and repeated it Avadiat. What have they really done? One Member of Parliament has been very badly manhandled and beaten on the 12th July. He is the leading member of the Socialist Group in Parliament, Shri Yadav. That is what I learn. I do not know what happened further.

Apart from that, what happened? If there was any national movement in our student life, the present leaders who are at the helm of affairs in the Government took us away from the classes, drafted us from the classes for making us participate in the national movement, *andolan*, strikes, demonstrations, *hartal*, etc. When we do it in public life today, they condemn us and terat us badly. Very bad treatment is meted out to us. Even peaceful demonstrations are prevented, demonstrations in which our present leaders took a prominent part during the earlier part of the British regime, in the national movement up to 1942.

Then look at the wage-earning class. What is the lowest and what is the highest pay? In our country, still today there are people in the villages who, for two or three months in the year, live on roots and vegatables. I can tell the House that in my constituency in the district of Purnea, in the Katihar sub-division, for two or three months, the people live only on leaves and vegetables. And then what about the drought-affected areas in Bihar and Orissa, and in Uttar Pradesh, specially the eastern part of Uttar Pradesh, where the question of food and water supply in an acute and urgent one? And what about the rest of India? The food problem could not be solved. Nobody could be given enough food. I do not know whether the statistics are correct, and whether the Government of India know and understand what has been the total production in the country. That statistics is also not there. I do not know whether actually food is in short supply or whether there there is any mistake in distribution or whether there is hoarding or profiteering.

With regard to the Central and the State Government employees, neither the dearness allowance is being increased nor the minimum necessaries of life are being supplied at reasonable prices. It seems to be beyond the reach. The Government are not able to supply the necessaries of life to the people. Regarding the employment situation, the day is coming when it will be more worsening, it is worse now. Regarding education, nothing has been done. This is the position.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Membe must conclude.

Shri Priya Gupta: I am just concluding in one sentence. Therefore, I request the hon. Mover of this Bill to exercise his influence over the party in power to bring socialism into real practice, instead of preaching it, and do such things as are required to bring the nation to achieve real socialism, democracy, sovereignty and other things.

Shri Vidya Charan Shukla: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I must confess that I am disappointed on listening to the speeches of the hon. Members in the Opposition, because we have been hearing these things day in and day out from them not only in Parliament but outside. It does not show that they have made any analysis of what socialism means, what Government have done to achieve socialist ends in this country, and what is going to be done.

[Shri Vidya Charan Shukla]

When the Constitution is sought to be amended, we are not to discuss things like having a price rice and incidental matters which, of course, are very important matters, but which have to be dealt with separately in a different way. If we are considering constitutional amendments, we must see what is there in the Constitution at present. I assume that all the hon. Members who have taken part in this discussion have gone through at least the salient points of our Constitution. Nobody who goes through the Constitutional provisions will miss the thorough socialistic undertone of the Constitution. Right from the preamble to the fundamental rights, and right through the Constitution, the socialistic ideas are predominant. That is why I would say that the mere insertion of this word or that term would not alter the matter at all.

This Constitution has been framed by a party and by a nation which believe in socialism, and the entire scheme of this Constitution is based on socialistic pattern.

The directive principles of state policy have laid down what the Government of the country should do. What social changes and institutional reforms have been brought about? I would concede that all that should have been done has not been done. More requires to be done, but if we see the fundamantals of the Government policy for the last 18 years, nobody can say that they have been non-socialistic. I would concede that in implementation we might have tripped; we might not have implemented our objectives, our principles, our ideologies, in as good a manner as could be done. This can be conceded. There may be room for improvement, but basically to say that we do not believe in socialism or that the Government policies have not been going towards socialistic ends, would be calling white, black.

There has been some very misinformed and I would say rather superficial criticism of Government during this debate which is not really called for, but since those points have been raised, I will briefly reply to those points. I was amused by what Dr. Ranen Sen was saying about democracy. I do not know if his party believes in parliamentary democracy. At least their books say they do not. But if they have changed, and if they have changed with the time or if they have changed their ideology completely, then, it is a different matter. But we and any thinking section in this country would not take them seriously when they profess parliamentary democracy. We have read their resolution and articles in their papers; what they want to do through parliamentary democracy, and how they want to use it as a tool, whether they really believe it or not. Those people who have watched the proceedings of this House and the other House for the last two or three sessions and particularly this session, know who is actually worried about democracy in this country, who is keen upon murdering democracy in this country, who is raping democracy and who is trying to preserve democracy.

श्री मधु लिमये : सरकार क्यों बदली ? सरकार ने घुटने क्यों टेके ?

Shri Vidya Charan Shukla: It does not require any commentary on anybody's part. The public of this country very soon will have a chance to give its verdict. It has given its verdict on the last three occasions, in the general elections. We have seen what has happened. In this very august House we know what is the strength of my party. Each and every member of my party, the Government party, is as duly elected as any other Member of the Opposition.

Shri Priya Gupta: The Minister should not say that he is for a particular party. He is for all parties.

Shri Bade: There is no white cap on his head! (*Interruption*).

Shri Vidya Charan Shukla: I was going to say some truth which would hurt them, and that is why they are restive. Even of us has been elected as well as those people. We are here more than 370 Members; see what is their strength, and that only shows the amount of public confidence that the party commands. After 370, comes the party with 21; then comes 15; then comes 10.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): कौरव भी बहुसंख्या में थे और पांडव केवल पांच थे।

Shri Vidya Charan Shukla: Then come the splinter parties. These are not really labelled as parties. They are mere small groups. They do not represent the thinking section of this nation. They have no *locus standi* in the nation. I am sure by their behaviour they are going to lose further ground in this country. Our people are serious-minded and honest; they are not going to be misled.

श्री मधु लिमये: देखा जाएगा।

Dr. M. S. Aney (Nagpur): The people may be serious-minded, but not the speaker.

Shri Ranga (Chittoor): Let us not take him so seriously.

Ds. Ranen Sen: It is a good entertainment speech.

Shri Vidya Charan Shukla: If they do not understand my speech, it is a pity. I am sure the public understand it and they are going to give a proper verdict.

Many things have been said about Banda, devaluation under pressure, etc. They have been mentioned several times here and repudiated. I need not go into them further. would only wish to say that in view of the provisions as they exist in our Constitution, the hon. mover of this Bill should take it back and withdraw it.

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का बहुत आभारी हूं। जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया उस पर अनेक सदस्य बोले, अपने विचार प्रकट किये तथा विभिन्न राजनीतिक दलों का क्या दृष्टिकोण समाजवाद के संबंध में है, यह काफी स्पष्ट हुआ क्योंकि अधिकतर राजनीतिक दलों ने और तो बात सब की, लेकिन समाजवाद की बात नहीं की और इस बात का प्रयास किया कि संविधान में समाजवाद शब्द की प्रतिष्ठा न होने पावे। मुझे बहुत अफसोस है कि वह राजनीतिक दल और जो राजनीतिक तत्व जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, उन्होंने भी भारत को समाजवादी घोषित करने में आनाकानी की और उसे बेकार बताया है। डी० एस० के० के सदस्य ने जो भाषण दिया उस के संबंध में कुछ कहना बेकार है क्योंकि उनका प्रयत्न तो केवल विघटनकारी तत्वों और मनोवृत्तियों को बढ़ाना है और कोई भी प्रश्न हो, चाहे उससे भाषा का संबंध हो या न हो, वह घूमफिरकर भाषा के प्रश्न पर आ जायेंगे और इस तरह से उन विघटनकारी बातों का अनर्गल प्रलाप करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि इन शब्दों के बजाय जो शब्द भारत के नाम के साथ जोड़ने के लिए मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, मौलिक और व्यावहारिक ढंग अपनाया जाय जिससे कि समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। जहां तक मौलिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, मैं उन से सहमत हूं लेकिन साथ ही साथ समाजवादी गणराज्य इसे घोषित किया जाय, इसमें आपत्ति क्या है? आइए, हम और आप मिलकर इस देश को समाजवादी गणराज्य घोषित करके वह मौलिक कदम उठायें जिनसे हम समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, कर रहे हैं और अगर सबका सहयोग होगा तो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे।

[श्री कृष्णदेव त्रिपाठी]

एक अन्य सदस्य श्री श्रीनारायण दास ने कुछ सुझाव रखे और कुछ आलोचना की। उन्होंने बताया कि नाम छोटा होना चाहिए। तो उसका तो एक ही तरीका है कि जिस तरह से कि अमेरिका में मुहल्लों और सड़कों के नाम संख्या के आधार पर रखे जाते हैं, एक दो दस, इस तरह से स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, इसी तरह से अब देशों के नाम और आदमियों के नाम रखे जाने लगें तो नाम बहुत छोटा हो जायगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं यू० एस० एस० आर०, यु० एस० ए०, फेडरल रिपब्लिक आफ वैस्ट जर्मनी पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना, यू० ए० आर० नाम ऐसा होना चाहिये जिससे वह देश कैसा है,• उस की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वह स्पष्ट हो सके और अगर संविधान में उस की व्यवस्था है तो उस के साथ पवित्रता जुड़ जाती है क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसलिए यह कहना कि नाम छोटा हो, बहुत तर्कसंगत नहीं मालूम होता।

अनेक सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि प्रभुसत्तात्मक तो प्रत्येक राज्य होता है, इसे जोड़ने की क्या बात है? लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के सन्दर्भ में यह शब्द जोड़ना बहुत आवश्यक है। आज दुनिया की कैसी हालत है? और कैसी अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी है? दो बड़े राष्ट्रों के पीछे छोटे छोटे राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता को किसी हद तक खो बैठे हैं और चूंकि भारत गुट निरपेक्ष और स्वतन्त्र वैदेशिक नीति में विश्वास करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस बात पर जोर दें कि हम स्वतन्त्र हैं अपने वैदेशिक संबंधों में और हम इस गुटबन्दी में पड़ना नहीं चाहते। इसलिए भारत को प्रभुसत्तात्मक गणराज्य घोषित करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इन शब्दों को जोड़ना जिस तरह की राष्ट्रीय और वैदेशिक नीति में हम विश्वास करते हैं उसको देखते हुए हमारे लिए बहुत आवश्यक है।

प्रजातन्त्र के संबंध में भी शिकायतें की गईं। समाजवाद के संबंध में शिकायतें की गईं। लेकिन मैं कहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि जो प्रजातन्त्र में और समाजवाद में विश्वास करते हैं अगर वह कुछ कमी भी महसूस करते हैं इस देश की नीति में, इस सरकार की नीति में तो जो भी कदम उठाये जायें, चाहे वह संविधान में जोड़ने की बात हो, चाहे वह कोई कानून बनाने की बात हो, उन सब में उनका सहयोग होना चाहिए। एक बात मैं जरूर बहुत साफ कहता हूं, उपगृह-मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं उस से सहमत नहीं हूं। यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि यह संविधान बहुत काफी है, इस देश में समाजवाद लाने के लिए। इस पर मेरा दिमाग बहुत साफ है और मैं ज्यादा न कहकर केवल पंडित जी ने आब्जेक्टिव के प्रस्ताव पर कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में बोलते हुए जो कहा था, जिस पैराग्राफ को मैंने कोट किया था इस मोशन को पेश करते हुए, वह मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं। और वह यह है :

"औरों को इस प्रस्ताव पर इस आधार पर आपत्ति होगी कि हमने नहीं कहा कि यह समाजवादी राज्य होगा। हां, मैं समाजवाद का हामी हूं। और मुझे आशा है कि भारत समाजवाद ग्रहण करेगा और समाजवादी राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा।"

यानी पंडित जी यह जानते थे कि समाजवादी राज्य की व्यवस्था के लिए इस संविधान के अन्तर्गत जो कुछ हमने कहा वह काफी नहीं है।

इसलिए मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह संविधान समाजवादी राज्य

की स्थापना के लिए पर्याप्त है । हां, इस में कोई सन्देह नहीं कि हमने इस तरह कई दिशाओं में सुधार किये हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वित्तीय क्षेत्र में हो, हम समाजवाद की दिशा की ओर जा रहे हैं और बहुत कुछ आगे आ गए हैं, जहां तक नीतियों का संबंध है, अमल करने में गलतियां भी हो सकती हैं, कमियां भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम देश को समाजवाद के रास्ते पर ले जायेंगे तो यह कहना कि हमारा संविधान बहुत काफी है, ठीक नहीं है । अब आप समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि पूरे संविधान भर में समाजवाद का कहीं जिक्र नहीं है । उस संविधान के माध्यम से समाजवाद की स्थापना की बात करना मुनासिब नहीं है । इसलिए मैं कह रहा था कि हम इस दिशा में भी सोचें कि संविधान में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं और संविधान के माध्यम से राजनीतिक ढांचे में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैंने विधेयक आपके सामने रखा था वह बहुत उपयुक्त था लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार की नेकनियती पर मैं पूरा यकीन करता हूं और यह भी विश्वास करता हूं कि वह समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि जो और शक्तियां समाजवाद में विश्वास करती हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वह आलोचना करें, वह हमारे कदम को तेजी से चलने के लिए हमको धक्का दें, मजबूर करें, इस में मैं उनका स्वागत करूंगा । लेकिन इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि इस तरह के जो कदम उठाये जाते हैं चाहे वह संविधान में संशोधन के संबंध में हों, उन को निरर्थक कहने की क्या बात है ? आखिर संविधान तो देश का सर्वोच्च कानून होता है । उस में किसी चीज को शामिल करते हैं, किसी चीज का उपयोग करते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत ही पवित्र हो जाता है और उस पर चलना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है । तो अगर हम समाजवाद की बात करते हैं और संविधान में उसे ले आते हैं तो इस में कोई सन्देह नहीं कि हम समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब समाप्त करता हूं, उपगृहमंत्री ने जो विचार रखे, उस से मैं बहुत कुछ सहमत हूं और मैं समझता हूं कि समाजवाद की दिशा में हम लोग चल रहे हैं । दूसरे संविधान में संशोधन के लिए तो विशेष कोरम चाहिए, बहुमत की राय से और जो मौजूद हैं, जो मत देते हैं, उनके दो तिहाई बहुमत से उसे पास होना चाहिए । मैं तो केवल इस प्रश्न की ओर इस सदन का और इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता था और वह मेरा कार्य पूरा हो गया । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन पर विचार कर के, इस पर सोच कर के बहुत जल्दी ही इसी आधार पर संविधान में संशोधन लावे और उसमें यही नहीं, बल्कि सम्पत्ति का जो अनुच्छेद है या भूमि सुधार का जो अनुच्छेद है, उस को भी सामने रख कर सारे संविधान पर इस दृष्टि से सोचें कि क्या कमी है समाजवादी संविधान बनाने की दिशा में और एक बहुत विस्तृत संशोधन संविधान में लायें । और उसको यह सदन स्वीकार करे ताकि समाजवादी तरीके से चलने में हमें बहुत सहूलियत हो जाय ।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य पूरा हो गया है ध्यान आकर्षण करने का, इसलिए मैं सदन की अनुमति से इस विधेयक को वापस लेना चाहूंगा ।

श्री बड़े : वापस ले लिया, हम से समर्थन मांगने के बाद ।

श्री मधु लिमये : वापस नहीं हो सकता । हम ने इस विधेयक को समर्थन दिया और अब आप इस को वापस ले रहे हैं ।

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : आपने इस का विरोध किया, तो अब क्या करूं वापस लेना पड़ा ।

श्री मधु लिमये : हम ने तो यह कहा है कि जो परिवर्तन आप चाहते हैं, उस के अनुरूप आप काम कीजिये ।

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his Bill?

श्री राम सेवक यादव : नहीं ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to the hon. Member to withdraw his Bill."

Those in favour of the motion may say "Aye".

Several hon. Members: "Aye".

Mr. Deputy-Speaker: Those against may say "No".

Some hon. Members: "No".

Mr. Deputy-Speaker: I think the "Ayes" have it.

Some hon. Members: "Noes" have it.

Mr. Deputy-Speaker: Let the lobbies be cleared.

श्री मधु लिमये : छोड़िये इस को, शर्मा जी का समय जायेगा, नो डिवीजन ।

Mr. Deputy-Speaker: So, I take it that leave is granted.

The Bill was by leave withdrawn.

15.22 hrs.

THE ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL, 1965

Shri A. T. Sharma

Shri A. T. Sharma (Chatrapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the constitution of an All India Ayurvedic Medical Council for India, maintenance of an Ayurvedic Medical Register for the whole of India and for matters connected therewith, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st October, 1966."

Sir, in moving this Bill I want to place before the House the circumstances under which I have brought this Bill. First the Government of India appointed the Bhore Committee to survey the health situtaion in India. The Bhore Committee consisted of allopathic doctors and they made certain recommendations for the improvement of western medicines. They did not, in their report, deal with the indigenous system of medicine. But in conclusion they stated:

"We realise the hold that these (the indigenous) systems exercise not merely on the illiterate masses but over considerable sections of the intelligentsia. We have also to recognise that the treatment by practitioners of these systems is said to be cheap, and it is claimed that the emperical knowledge, that has been accumulated over centuries, has resulted in a fund of experience of the properties and medical use of minerals, herbs and plants which is of some value. Further, the undoubted part that these systems have played in the long distant past in influencing the developments of medicine and surgery in other countries of the world has naturally engendered a feeling of patriotic pride in the place they will always occupy in any world history of the rise and development of Medicine."

That was what they said. In conclusion, they suggested that a separate Committee be appointed to find out the value of indigenous system of medicine in India. Accordingly, the Chopra Committee was appointed in 1948. The Chopra Committee first studied the situation then existing in India and said that about 80 per cent